प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 12.07.2026**

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 205/26 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109(1)/121(1)/132 BNS व 7 सीएल एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.07.2026 को थाना बिनौली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि प्रथम पक्ष के अभियुक्तों 1-नसीबुद्दीन, 2-उमरदीन पुत्रगण शेर अहमद, 3-अफजाल, 4-हैदर, 5-मोईन, 6-रिहान पुत्रगण उमरदीन, 7-समर उर्फ निसार, 8-विशाल उर्फ छोटू, 9-समीर पुत्रगण नसीबुद्दीन तथा द्वितीय पक्ष के 1-कामिल, 2-सावेज, 3-आलिम पुत्रगण इदरीश, 4-अलीमुद्दीन पुत्र शेर अहमद, 5-कासिम पुत्र अलीमुद्दीन निवासीगण ग्राम जहानगढ़ उर्फ दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत एवं 25 से 30 अज्ञात महिला एवं पुरुषों द्वारा एक-दूसरे को जान से मारने की नीयत से ईंट-पत्थर, लाठी-डंडों एवं अन्य सामान से लैस होकर आपस में मारपीट की गई व फायरिंग की गयी। उक्त घटना से क्षेत्र में भय एवं दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया तथा भगदड़ मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस पार्टी द्वारा शांति व्यवस्था कायम करने एवं बीच-बचाव का प्रयास किए जाने पर उपरोक्त अभियुक्तों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी पर भी ईंट-पत्थर फेंककर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 205/26 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109(1)/121(1)/132 BNS व 7 सीएल एक्ट पंजीकृत किया गया। थाना बिनौली पुलिस द्वारा मौके से चार अभियुक्तों 1- समर उर्फ निसार 2- समीर पुत्रगण नसीबूदीन, 3- कामिल पुत्र इदरीश, 4- कासिम पुत्र अलीमुद्दीन

निवासीगण ग्राम जहानगढ उर्फ दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 205/26 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109(1)/121(1)/132 BNS व 7 सीएल एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अफजल पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम जहानगढ उर्फ दौझा थाना बिनौली जिला बागपत उम्र 30 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त अफजल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0 318/2019 धारा 392/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत।

2.मु0अ0सं0 320/2019 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना बिनौली जनपद बागपत।

3.मु0अ0सं0 214/25 धारा 115(2), 191(2), 333, 352 बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत।

4.मु0अ0सं0 278/25 धारा 115(2), 117(2), 352 बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत।

5.मु0अ0सं0 141/26 धारा 110, 115(2), 126(2), 131, 191(2), 191(3), 351(3), 352 बीएनएस थाना बिनौली जनपद बागपत।

6. मु0अ0सं0 205/26 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109(1)/121(1)/132 BNS व 7 सीएल एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री सन्नी कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

2- रि0का0 253 आकाश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

3. हो0गा0 430 धर्मेन्द्र सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 12.07.2026**

थाना बिनौली पुलिस टीम ने थाने के मु0अ0सं0 137/26 धारा 305ए BNS व मु0अ0सं0 210/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ एक इन्वेटर, दो बैटरा, 2 EXPERT TALL TUBULAR BATTERY , एक चाकू, 3 प्लास, तार कटर, पेचकस व 4 बन्डल प्लास्टिक का पाईप लम्बाई करीब 20 मीटर तथा अन्य चोरी का माल 5 काले रंग की थ्री फेस केबल जिसकी लम्बाई करीब 05 मीटर, एक ट्यूबवेल का स्टार्टर थ्री फेस वन ग्रे, एक चेन्जओवर थ्री तथा 13 टुकडे कॉपर का बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक 07.05.2026 को थाना बिनौली पर वादी श्री ओमपाल सिंह पुत्र कटारसिंह निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के चौधरी फूलसिंह आर्य कन्या महाविद्यालय से अल्टीनेटर , 05 बैट्री , इन्वर्टर झटका मशीन आदि सामान चोरी कर लिया हैं। इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 137/26 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

2- दिनांक 12.7.26 को वादी अंकित पुत्र बृजमोहन निवास ग्राम रन्छाड़ थाना बिनौली बागपत ने तहरीर दी कि वादी के ट्यूबवैल से केबिल व पाइप लाइन को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 210/26 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 137/26 धारा 305(ए) बीएनएस व मु0अ0सं0 210/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल

अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया हैं। अभियुक्त विकास पुत्र सहन्सरपाल के कब्जे से एक इन्वेटर ल्युमिनस रंग ग्रे, 02 बैटरा 1 SUUMAKE (PAWER BANK) , 2 EXPERT TALL TUBULAR BATTERY , एक चाकू सम्बन्धित मु0अ0सं0 137/2026 व 03 प्लास, तार कटर, पेचकस व 4 बन्डल प्लास्टिक का पाईप जिसकी लम्बाई करीब 20 मीटर सम्बन्धित मु0अ0सं0 210/26 तथा अन्य चोरी का माल 5 काले रंग की थ्री फेस केबल जिसकी लम्बाई करीब 05 मीटर, एक ट्यूबवेल का स्टार्टर थ्री फेस वन ग्रे, एक चेन्जओवर थ्री बरामद हुआ हैं एवं अभियुक्त वंश पुत्र भंवरसिंह के कब्जे से चोरी का खरीदा हुआ मु0अ0सं0 210/26 से सम्बन्धित 13 टुकडे कापर के केबिल के टुकडे बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बिनौली जनपद बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 137/26 में धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि एवं मु0अ0सं0 210/26 उपरोक्त में 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. विकास पुत्र सहन्सरपाल निवासी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत।
2. वंश पुत्र भंवरसिंह निवासी ग्राम कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- अभियुक्त विकास पुत्र सहन्सरपाल के कब्जे से एक इन्वेटर ल्युमिनस रंग ग्रे, 02 बैटरा 1 SUUMAKE (PAWER BANK), 2 EXPERT TALL TUBULAR BATTERY, एक चाकू सम्बन्धित मु0अ0सं0 137/2026 अन्तर्गत धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस व 3 प्लास, तार कटर, पेचकस व 4 बन्डल प्लास्टिक का पाईप जिसकी लम्बाई करीब 20 मीटर सम्बन्धित मु0अ0सं0 210/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस तथा अन्य चोरी का माल 5 काले रंग की थ्री फेस केबल जिसकी लम्बाई करीब 05 मीटर, एक ट्यूबवेल का स्टार्टर थ्री फेस वन ग्रे, एक चेन्जओवर थ्री बरामद हुआ हैं
- अभियुक्त वंश सैनी पुत्र भंवरसिंह के कब्जे से मु0अ0सं0 210/26 से सम्बन्धित चोरी का खरीदा हुआ 13 टुकडे कापर के केबिल के टुकडे बरामद।

गिरफ्तार/अनावरण करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत।
2. उ0नि0 अश्वनी कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
3. है0का0 648 चौब सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत
4. है0का0 714 रविन्द्र थाना बिनौली जनपद बागपत।
5. रि0आरक्षी 299 अनुज कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।
6. हो0गा0 435 प्रणवीर थाना बिनौली जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा दिनाँक 12.07.2026

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 237/26 धारा 333/352/109(1)/125(b) बीएनएस – 2023 में वाछिंत 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 12.07.2026 को थाना खेकड़ा पर आवेदक रवि पुत्र श्री नंदकिशोर निवासी पट्टी चक्रसेनपुर थाना खेकडा जिला बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.चाँद पुत्र सुरेश, 2.गुड्डू पुत्र चाँद निवासीगण पट्टी चक्रसेनपुर कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा वादी के साथ गाली गलौच करना व वादी के घर की छत पर आकर वादी के बेटे करण को जान से मारने की नियत से छत से नीचे गली में फेंक देना जिससे वादी के बेटे का गंभीर रूप से घायल हो जाना। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 237/26 धारा 333/352/109(1)/125(b) बीएनएस – 2023 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाहीः-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाना खेकडा के मु0अ0सं0 237/26 धारा 333/352/109/125(b) बीएनएस – 2023 में वाछिंत अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। थाना खेकडा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

चाँद उर्फ सचिन पुत्र सुदेश उर्फ सुरेश निवासी पट्टी चक्रसेनपुर थाना खेकडा जिला बागपत

उम्र करीब 41 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री मनीष कुमार थाना खेकडा ।
2-है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकडा ।

प्रेस नोट

थाना खेकड़ा **दिनाँक – 12.07.2026**

थाना खेकड़ा पुलिस ने जुआ खेलते हुए 08 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 6000 रुपये नगद व 52 ताश के पत्ते बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सटटा खेलने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर सट्टे खेलते समय 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से 6000 रुपये नगद व 52 ताश के पत्ते बरामद हुए है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुकों का नाम व पता-

1.नितिन पुत्र श्री हरवीर निवासी ग्राम सांकरौद थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 32 बर्ष
2.विशाल पुत्र विजेन्द्र निवासी पट्टी चकसैनपुर कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 30 बर्ष

3.मोनू पुत्र ओमप्रकाश निवासी पट्टी चक्रसैनपुर कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 38
4.ललित शर्मा उर्फ लीलू पुत्र श्री हरिकिशन शर्मा निवासी नाले के पास मौ0 कैलाशपुरी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 32 बर्ष
5. प्रतीक पुत्र जगपाल निवासी तांगा स्टैण्ड कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 30 वर्ष
6. सन्नी पुत्र सतपाल निवासी पट्टी मुण्डाला कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 25 बर्ष
7.कृष्ण पुत्र महेन्द्र निवासी पट्टी अहीरान कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 56 बर्ष
8.मीनू पुत्र यामीन निवासी बाग वाला मौहल्ला कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 52 बर्ष

बरामदगी का विवरण-

- 6000 रुपये नगद।
- 52 ताश के पत्ते।

1.अभियुक्त मीनू उपरोक्त को आपराधित इतिहास

1.मु0अ0सं0 376/26 धारा 13 जुआ अधि0 थाना खेकडा बागपत
2.मु0अ0सं0 195/19 धारा 13 जुआ अधि0 थाना खेकडा बागपत
3.मु0अ0सं0 0083/26 धारा 13 जुआ अधि0 थाना खेकडा बागपत

2.अभियुक्त कृष्ण उपरोक्त को आपराधित इतिहास

1.मु0अ0सं0 0045/20 धारा 188/341 भादवि थाना खेकडा बागपत

3.अभियुक्त सन्नी उपरोक्त को आपराधित इतिहास

1.मु0अ0सं0 488/20 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा बागपत
2.मु0अ0सं0 423/23 धारा 3/10 उत्तर प्रदेश गुंडा गर्दी नियंत्रण अधि0 थाना खेकडा बागपत
3.मु0अ0सं0 189/24 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा बागपत
4.अभियुक्त मोनू उपरोक्त को आपराधित इतिहास
5.मु0अ0सं0 346/22 धारा 63 आबकारी अधि0 थाना खेकडा बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा।
2. उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह थाना खेकडा।
3. उ0नि0 भुवनेश्वर कुमार थाना खेकडा।
4. उ0नि0 सुजित कुमार थाना खेकडा।
5.है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकडा।
6.है0का0 752 रविन्द्र कुमार थाना खेकडा।
7. रि0का0 185 आशीष कुमार थाना खेकडा।

प्रेस नोट

थाना छपरौली **दिनांक 12.07.2026**

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 151/26 धारा 305/317(2) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 शातिर चोर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू व चोरी किया हुआ 01 लैपटॉप बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.07.26 को थाना छपरौली पर वादी श्री मुकेश कुमार पुत्र विजयपाल निवासी पट्टी धन्धान कस्बा व थाना छपरौली ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त अरुण कुमार पुत्र सुखपाल सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा वादी की दुकान से लेपटॉप लैनोवो E2520 की चोरी करना। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 151/2026 धारा 305/317(2)बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शातिर चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 151/2026 धारा 305/317(2)बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित शातिर 01 चोर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक अवैध चाकू व चोरी किया हुआ 01 लैपटॉप लैनोवो E2520 बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अरूण कुमार पुत्र सुखपाल सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- **लैपटॉप लैनोवो E2520**
- **एक अवैध चाकू।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना छपरौली।

2- है0का0 440 राशिद खान थाना छपरौली।

3.रि0का0 277 कुलदीप सिंह थाना छपरौली।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत   दिनाँक 12.07.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

इकराम पुत्र बाबू निवासी ग्राम जलालाबाद थाना भवन जिला शामली उम्र 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत।

2-है0का0 151 संदीप थाना कोतवाली बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 12.07.2026**

ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस ने मु0अ0सं0 208/26 से सम्बन्धित गुमशुदा 02 बच्चो को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सुपुर्द किया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 208/26 से सम्बन्धित 02 गुमशुदा बच्चो को अथक प्रयास के बाद बरामद कर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री युद्धवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत
2- है0का0 711 लेखराज सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत
3. रि0म0का0 साधना थाना बिनौली जनपद बागपत। गु